

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

संख्या : एफ.ई. 16(35)2009 / डीडीए / 453

दिनांक : 14.09.2017

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 23/2017

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्य) को निम्नलिखित मदों/कार्यों इत्यादि के संबंध में वित्तीय शक्ति प्रदान की गयी हैं:-

क्र. स.	शक्ति का प्रकार	शक्ति की सीमा (रुपये में)
1	छिटपुट कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्थीकृति प्रदान करना :- (क) रिहायशी और गैर-रिहायशी भवन/समाज सदन; व्यावसायिक सुविधा केंद्र, पार्कों की चारदीवारी और प्रकाश व्यवस्था, जैसे कार्य/पार्कों/जलाशयों का रख-रखाव/विकास तथा पार्कों और जलाशयों में सिविल/विद्युत कार्यों के लिए (ख) बिल्डिंग/परियोजना में ढाँचागत सुधार, कॉमन एरिया सुधार	500 लाख
2	निर्माण कार्य के लिए संविदा में अंतर	500 लाख
3	किसी भवन की आधारशिला रखने और उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए खोलने से संबंधित समारोह के व्यय की स्वीकृति देना	03 लाख (तीन लाख)
4	मध्यस्थता अधिनिर्णय की स्वीकृति/चुनौती	माध्यस्थम बोर्ड द्वारा आवश्यक छानबीन सहित मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से 45 लाख
5	निजी वास्तुकार, परामर्शदाता/स्ट्रक्चरल परामर्शदाता की नियुक्ति	प्रत्येक मामले में 25 लाख
6	कमी का अनुमान	वित्त विभाग की सहमति से प्रति सेवा प्रति स्कीम 150 लाख तक
7	जलापूर्ति और सीवरेज (जहाँ प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्थीकृति का प्रावधान नहीं है) के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डी जे बी) को आधारिक संरचना फंड का भुगतान	यदि दिल्ली जल बोर्ड की राशि/मांग डी जे बी की अनुमोदित दर के अनुसार है तो 100 करोड़

उपर्युक्त मदों/कार्यों पर व्यय उस शर्त के तहत किया जाएगा कि व्यय को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली में वर्णित संबंधित प्रावधानों, सामान्य वित्त नियम और समय—समय पर जारी अन्य सरकारी आदेशों का अनुपालन हो ।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष महोदय /वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू—दृश्य);
3. प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान) /भूमि प्रबंधन);
4. आयुक्त, भूमि निपटान /भूमि प्रबंधन /खेल /योजना;
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) /मुख्य वास्तुविद;
6. अपर आयुक्त (भू—दृश्य);
7. निदेशक (उद्यान) उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व /निदेशक (वित्त);
8. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)—I /उप मुख्य लेखा अधिकारी (बजट);
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय);
10. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)